कार्यालय उप परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्धन, एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना, नैनीताल प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक 404 /29–भण्डार हल्द्वानी दिनांक 31|12|2020

अल्पकालीन निविदा सूचना

महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में एग्रीबिजनेस ग्रोथ सेन्टर मद अन्तर्गत निम्नानुसार ग्रोथ सेन्टर का निर्माण किये जाने के लिये दिनांक **12.01.2021** के अपरान्ह 3 बजे तक पंजीकृत डाक/दस्ती (बाय हैण्ड)/कुरियर द्वारा इच्छुक ठेकेदारों से बन्द लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती हैं, जो इसी तिथि को सायं 3.30 बजे गठित समिति द्वारा खोले जायेंगे। निविदा खोले जाने की निर्धारित तिथि व समय पर निविदादाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होना चाहें तो उपस्थित रह सकते हैं। यदि उक्त वर्णित तिथि को किसी कारणवश राजकीय अवकाश घोषित होता है तो निविदा अगले कार्यदिवस में निर्धारित समय पर खोले जायेंगे।

क्र0 सं0	यूनिट का नाम व कार्य का विवरण	कार्य का क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)	अनुमानित लागत GST सहित (लाख रू0 में)	धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार की श्रेणी
1.	यूनिट तल्लारामगढ़ के ग्राम पंचायत बोहराकोट में निर्मित कलेक्शन सेन्टर के प्रथम तल में ग्रोथ सेन्टर का निर्माण	93.41	14.48	29000	1500 + GST 18%	2 माह	"डी" एवं उच्चतर

शर्तें–

1. निविदादाता निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 11.01.2021 तक किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी के **"कार्यालय उप परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्धन, आई.एल.एस.पी., नैनीताल प्रभाग, हल्द्वानी", भट्ट काम्पलैक्स, कालाढुंगी रोड, मुखानी, पीलीकोठी** से प्राप्त किया जा सकता है या जलागम प्रबन्ध निदेशालय की वैब साईट (www.wmduk.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निविदा प्रपत्र की धनराशि **उप परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्धन, आई.एल.एस. पी., नैनीताल प्रभाग, हल्द्वानी** के नाम का बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न करना अति आवश्यक होगा, अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. निविदादाता को अग्रिम धरोहर धनराशि के रूप में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर./सी.डी.आर./टी.डी.आर. या डाकघर बचत पत्र के रूप में उप परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्धन, आई.एल.एस.पी., नैनीताल प्रभाग, हल्द्वानी के नाम से निरूपित कर संलग्न करना आवश्यक होगा। बिना धरोहर धनराशि के प्राप्त निविदा को स्वीकार नही किया जायेगा।
3. निविदादाता को जी0एस0टी0 आदि योजना हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार से जारी निर्देशों के अनुसार पंजीकरण होना आवश्यक है तथा निविदा के साथ जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
4. निविदा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक **12.01.2021 के अपरान्ह 3 बजे** तक पंजीकृत डाक/दस्ती (बाय हैण्ड)/ कुरियर द्वारा अवश्यमेव पहुंच जाना चाहिए, जो इसी तिथि को अपरान्ह 3.30 बजे गठित समिति द्वारा खोले जायेंगे।
5. निविदा खोले जाने की निर्धारित तिथि व समय पर निविदादाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होना चाहें तो उपस्थित रह सकते हैं।
6. बिलम्ब से प्राप्त/ शर्तिया निविदा को स्वीकार नही किया जायेगा।
7. निविदादाता द्वारा कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 11.01.2021 तक ग्रोथ सेन्टर से संबंधित मानचित्र व विवरण देखा व प्राप्त किया जा सकता है।
8. निविदा लिफाफे के ऊपर **निविदा बावत ग्रोथ सेन्टर निर्माण** लिखा होना चाहिए।
9. दरें दो माह के लिये मान्य होंगी।

कमशः पृष्ठ 2 पर

10. सफल निविद्यादाता को ग्रोथ सेन्टर निर्माण हेतु स्वीकृत दर के आदेश मिलने के 2 दिन के अन्तर्गत जमानत के तौर पर कुल मूल्य के 10 प्रतिशत की धनराशि का किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक का एफ.डी.आर./ सी.डी.आर. या राष्ट्रीय बचत पत्र जो उप परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्धन, आई0एल0एस0पी0, नैनीताल प्रभाग, हल्द्वानी के नाम निरूपित कर रू0 100/– के स्टाम्प पेपर सहित कार्यालय में उपस्थित होकर ग्रोथ सेन्टर निर्माण के संबंध में अनुबन्ध करना सुनिश्चित करें, ताकि अनुबन्ध के अनुसार ही ग्रोथ सेन्टर का निर्माण किया जा सके।
11. सफल निविदादाता को ग्रोथ सेन्टर का निर्माण किये जाने के आदेश जारी होने की तिथि से दो माह के अन्तर्गत (संलग्नक मानचित्र व प्राक्कलन) के अनुसार वर्णित यूनिट के चयनित स्थल पर निर्माण किया जाना होगा। यदि उसके द्वारा ऐसा नही किया जाता है तो कार्यालय में जमा जमानत धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
12. सफल निविदादाता को उसके द्वारा कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त विभाग द्वारा यदि उसे पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है तो पूर्ण भुगतान किये जाने के उपरान्त भी यदि कोई शासकीय/ अन्य देनदारियां अवशेष रह जाती हैं तो उसके लिये स्वंय सफल निविदादाता की जिम्मेदारी होगी। विभाग इसके लिये न ही जिम्मेदार रहेगा और न ही भुगतान करेगा।
13. ग्रोथ सेन्टर निर्माण में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो निविदादाता को परियोजना निदेशक, कुमाऊँ क्षेत्र–हल्द्वानी का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा। यदि न्यायिक विवाद होता है तो न्याय क्षेत्र सम्बन्धित प्रभाग के मुख्यालय में रहेगा।
14. अधोहस्ताक्षरी को किसी एक या समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त/ अस्वीकार करने का अधिकार रहेगा।

संलग्नक– ग्रोथ सेन्टर का मानचित्र एवं विवरण।

Sanjay 31/12/2020

(डॉ आर.के. रंजन)
उप परियोजना निदेशक,
जलागम प्रबन्धन,
एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना,
नैनीताल प्रभाग, हल्द्वानी।

पत्रांक 404 /29–भण्डार तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. परियोजना निदेशक **(ILSP)**, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्धन, कुमाऊँ क्षेत्र, हल्द्वानी।
4. उप परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्धन, आई.एल.एस.पी., चम्पावत प्रभाग, चम्पावत।
5. गठित समिति के सदस्य।
6. कार्यालय नोटिस बोर्ड में चस्पा।

Sanjay 31/12/2020

(डॉ आर.के. रंजन)
उप परियोजना निदेशक,
जलागम प्रबन्धन,
एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना,
नैनीताल प्रभाग, हल्द्वानी।